

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
24/03/2025 19:16 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Monday

Date from (दिनांक से):
24/03/2025

Date To (दिनांक तक):
24/03/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar
6

Time From (समय से): 17:45
hrs

Time To (समय तक): 17:45
hrs

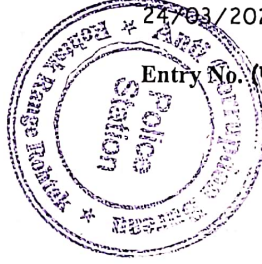
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक):
24/03/2025

Time (समय): 18:50
hrs

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012

Date and Time (दिनांक और समय):
24/03/2025 18:56
hrs



4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 25 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): रेलवे फ्लाईओवर झंजर से खरखौदा, रोड सांपला ।

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): डा. सोनू

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री रामफल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव जसौर खेडी तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर JHAJJAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव जसौर खेडी तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर JHAJJAR, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8607097120

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अरुण मलिक डिंड राईटर			1. तहसील कार्यालय सांपला, ROHTAK, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

उप पुलिस अधीक्षक,

एन्टी करप्शन ब्यूरो,

रोहतक।

विषय :- अधिकारियों व कर्मचारियों के दलाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने बारे।

श्रीमान जी,



निवेदन है कि मैं डा० सोनु पुत्र श्री रामफल वासी गांव जसौर खेडी तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर का रहने वाला हूँ। मैंने गांव भैसरु कलां जिला रोहतक में नीरज कुमारी पत्नी स्व० श्री जयप्रकाश से आधा बिघा (476 गज) जमीन मेरी माता जी सरोज के नाम खरीद की है। उपरोक्त जमीन की रजिस्ट्री के लिए मैं तहसील सांपला में 3/4 दिन चक्कर लगाता रहा और कई कर्मचारियों से मिला। लेकिन मेरा काम को वो जान बुझकर टालते रहे। उसके बाद मेरे को एक डिड राईटर अरुण मलिक मिला। डिड राईटर ने बोला कि आपकी रजिस्ट्री एक घण्टे में ही करवा दूंगा लेकिन 100/- प्रति गज के हिसाब से पैसे लगेंगे। मैंने बोला कि मैंने सरकारी स्टाम्प ड्युटी 93300/- रुपये खरीदने के लिए मेरे मोबाईल नं० 8607097120 से आपके गुगलपे ऑनलाईन (बार कोड) पर भेजे दिए। लेकिन अरुण मलिक ने 100/- प्रति गज (लगभग 50 हजार रुपये) रिश्त के मांगे। मैंने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा है तो उसने बोला कि 40000/- रुपये तो अधिकारियों का खर्चा ही है जो उनको देना है। बाद में हमारी सैटलमेन्ट 20000/- रुपये में हो गई और साथ में 5000/- रुपये कम्प्युटर वाले के भी अलग से मांगे है। उसके बाद दिनांक 19.03.2025 को मेरी जमीन की रजिस्ट्री अरुण मलिक के कहे अनुसार करा दी गई। फिर रजिस्ट्री होने के बाद मैंने 10000/- रुपये उपरोक्त अरुण मलिक (डीड राईटर) को ऑनलाईन मेरे मोबाईल नं० 8607097120 से गुगलपे उसके बार कोड पर ट्रांसफर कर दिए। अब वह रजिस्ट्री को अपने पास रखे हुए है और कहता है कि बकाया 15000/- रुपये रिश्त और दो नही तो रजिस्ट्री जमीन आपको नही दूंगा। क्योंकि ये पैसे रजिस्ट्री करने की ऐवज में अधिकारियों को देने है। मैं उसको रिश्त के बकाया 15000/- रुपये नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि उसको रैंड हैण्डिड पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे पास डीड राईटर अरुण मलिक से मेरी हुई बातचीत की रिकार्डिंग है, जो मैं बाद में आपकी पेश कर दूंगा। डीड राईटर अरुण मलिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। हस्ता अंग्रेजी SONU

सोनू पुत्र श्री रामफल
वासी गांव जसौर खेडी
तहसील बहादुरगढ़
जिला झज्जर।

24-03-2025
8607097120

कार्यवाही पुलिस :- आज मन DSP मय गाडी सरकारी नं. HR-03GV-3780 चालक EASI कृष्ण नं. 866/BWN के आऊटर बाईपास खराबड फलाईओवर के नीचे मौजूद था कि मेरे मो० नं० 9050001617 पर एक टेलिफोन मो० नं० 9289627332 से आया। जिसने अपना नाम डा० सोनु वासी जसौर खेडी जिला झज्जर बतलाया और कहा कि मैं एक दलाल । बिचौलिये को रिश्त मांगने के सम्बन्ध में रैंड करवाना चाहता हूँ। मेरे पास उस दलाल बिचौलिये की रिश्त लेन-देन की आडियो रिकार्डिंग है। जिस पर मैंने उक्त शिकायत कर्ता को रेलवे फलाईओवर, झज्जर से खरखौदा रोड, सांपला पर बुलाया। रैंड के संबंध में अफसरान बाला से सम्पर्क करके रेंडिंग टीम तैयार की व मोहर् थाना को रेंडिंग टीम व रेंडिंग कीट मय लैपटाप प्रिन्टर के मेरे पास भेजने बारे निर्देश दिए। अफसरान बाला से बजरिया टेलिफोन श्री विरेन्द्र, DFSC रोहतक को स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करवाया गया तथा श्री विरेन्द्र DFSC रोहतक को फोन करके एक रेगुलर कर्मचारी बतौर छायागवाह के रेलवे फलाईओवर, झज्जर से खरखौदा रोड सांपला पर पहुँचने बारे कहा गया। जो कुछ समय बाद शिकायतकर्ता अपनी प्राईवेट गाडी में मुझसे आकर हाजिर मिला। जिसने उपरोक्त टाईपशुदा दरखास्त मुझे पेश की है तथा रिश्त लेन-देन की आडियो रिकार्डिंग सुनाई है। इसी कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र गवाह श्री विरेन्द्र DFSC रोहतक अपने कार्यालय के निरीक्षक हरिओम को बतौर छाया गवाह साथ लेकर अपनी सरकारी गाडी से व रेंडिंग टीम जिसमें नि० प्रमिला नं० 189/SPT, CDC निरीक्षक संजीव नं. 944/SPT, ASI कपिल नं. 12/JJR, HC बिजेन्द्र 1945/RTK, HC विकास 1824/RTK, HC वीरेन्द्र 895/RTK, HC नवीन 128/RTK, ASI राजेश 932/JJ, EHC प्रवीन नं. 616/RTK बासवारी गाडी सरकारी नं. HR-03GV-9489 चालक HC सुनील नं. 965/SPT व एक अन्य प्राईवेट गाडी के मय लैपटाप, प्रिन्टर, रेंडिंग कीट के हाजिर आकर मुझसे मिले हैं। जो दरखास्त के मजबूत से व आडियो रिकार्डिंग सुनने में सरेदस्त जुर्म जेर धारा 7A PC Act का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकद मा बदस्तHC विकास 1824/RTK के थाना एन्टी करप्शन व्यूरो, रोहतक भेजी जा रही है। बाद करने मुकदमा दर्ज नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे तथा स्पेशल रिपोर्ट व जरिया मैसेन्जर Email के अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भिजवाई जावे। मन उप पुलिस अधीक्षक रैंड की आगामी अन्य कार्यवाही में मशरुफ होता हूँ।

अज:- रेलवे फलाईओवर झज्जर से खरखौदा रोड सांपला ।

हस्ता अंग्रेजी SOMBIR

(सोमबीर), ह0पु0से0
उप पुलिस अधीक्षक,
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
रोहतक।

दिनांक 24.03.2025

AT. 05:45 PM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 08 दिनांक 24.03.2025 धारा 7A P.C Act 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त HC विकास 1824/RTK की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक कर्मबीर सिंह न0 164/H की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
SOMVEER SINGH
No. (सं.): 12345 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Karmbir Singh

Rank (पद): Inspector

No. 164/H)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)